कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 11.06.2018 के द्वारा प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) के विभिन्न विषयों की रिव्यू / नियमित डीपीसी में चयनित उन अभ्यर्थियों के सम्बंध में यह विशेष विवरण अंकित किया गया था कि उन अभ्यर्थियों का उनके दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात् संतानोत्पत्ति के फलस्वरूप 02 से अधिक संतान होने के कारण पूर्व में उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित करने के उपरांत ही संबंधित चयन वर्ष में उनका चयन किया गया है। उक्त विशेष विवरण इसलिए अंकित किया गया था ताकि इन अभ्यर्थियों को पदोन्नति पर कार्यमुक्त / कार्यग्रहण करवाने में कोई कठिनाई ना रहे।

इस कार्यालय के यह ध्यान में लाया गया है कि कई संस्था प्रधानों द्वारा आदेश दिनांक 11.06.2018 के द्वारा जारी निर्देशों की गलत व्याख्या करते हुए इन अभ्यर्थियों को पदोन्नति पर कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जा रहा है। इस सम्बंध में स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 11.06.2018 अपने आप में स्पष्ट है उक्त आदेशों में अंकित विशेष विवरण का आशय यही है कि इन अभ्यर्थियों के दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात् संतानोत्पत्ति के फलस्वरूप 02 से अधिक संतान होने के कारण पूर्व में उन्हें नियमानुसार पदोन्नति से वंचित करने के उपरांत ही संबंधित चयन वर्ष में उनका चयन किया जाकर विभाग द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई है, अतः इन अभ्यर्थियों को पदोन्नति पर 02 से अधिक संतान के कारण कार्यमुक्ति / कार्यग्रहण से नहीं रोका जा सकता।

अतः संबंधित संस्था प्रधान इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 11.06.2018 के साथ संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियों को, यदि उन्हें पदोन्नति पर अब तक कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया गया है तो, दिनांक 17.06.2018 तक कार्यमुक्त करें तथा ऐसे अभ्यर्थी को दिनांक 18.06.2018 तक पदोन्नति पर पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करवाया जावे।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक),
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–माध्य/संस्था/सी–ओए/6004/चयन/2018–19 दिनांक– 15.06.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 समस्त उप निदेशक(माध्यमिक)
2 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)
3 संबंधित संस्था प्रधान
4 प्रभारी सी–1, 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7
5 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक),
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर